

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/ 8124

दिनांक - 03.09.25

प्रार्थी
1 किशनलाल पुत्र अम्बालाल
जाति सुथार निवासी राय
कॉलोनी, बाड़मेर तहसील व
जिली बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण
1 सबलसिंह गोदपुत्र रूपसिंह जाति
राजपूत, निवासी जसवंतसिंहपुरा (गेहूं)
तहसील व जिला बाड़मेर 2 तहसीलदार
बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 285/2025

दिनांक- 01/09/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा जसवंतसिंहपुरा पटवार हल्का गेहूं तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 626/449 रकबा 0.3237 हैक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/ 8125-28

दिनांक- 03.09.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी गेहूं तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी किशनलाल पुत्र अम्बालाल जाति सुथार निवासी राय कॉलोनी, बाड़मेर तहसील व जिली बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण सबलसिंह गोदपुत्र जाति राजपूत, निवासी जसवंतसिंहपुरा (गेहूं) तहसील व जिला बाड़मेर।



उपखण्ड अधिकारी,
उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर
बाड़मेर